कुर्की पर सख्ती से कार्यवाही, भिलाई निगम ने बकायेदारों से वसूल किए 3 लाख 93 हजार 849 रुपए, खुर्सीपार के जोन क्षेत्र में हुईं कार्रवाई

भिलाई नगर/ कुर्की पर कार्रवाई के लिए भिलाई निगम सख्ती बरत रही है। जिसके तहत बकायेदारों से कुर्की के माध्यम से वसूली का काम किया जा रहा है। खुर्सीपार में कार्रवाई के दौरान औद्योगिक क्षेत्र के 4 बकायेदारों से 3 लाख 93 हजार 849 रुपए टैक्स की वसूली की गई। इसी प्रकार से प्रत्येक जोन क्षेत्र में कुर्की वसूली की कार्रवाई की जा रही है। निगमायुक्त रोहित व्यास के निर्देश पर इसके लिए दल का गठन कर दिया है तथा शेड्यूल भी जारी किया गया है। शेड्यूल के मुताबिक कुर्की अधिकारी कुर्की वसूली की कार्रवाई कर रहे है। नवंबर से लेकर अलग-अलग दिवस में 23 दिसंबर तक कुर्की वसूली की कार्रवाई होगी। नगर पालिक निगम भिलाई क्षेत्र अंतर्गत स्थित भवन/भूमियों पर बकाया राशि की वसूली के लिए नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 173 के तहत बकायेदारों को नोटिस जारी किया गया था, इसके बाद धारा 174 के तहत दूसरी नोटिस जारी की गई थी इसके बाद भी बकाया राशि जमा नहीं करने वालों को धारा 175 के अधीन कुर्की वारंट जारी किया गया है। ऐसे बकायेदारों पर निगम अब सख्ती की मंशा से कार्रवाई कर रही है। कुर्की दल में शामिल अधिकारी कुर्की की कार्यवाही के दौरान पर्याप्त मात्रा में सुपुर्दगी नामा पत्रक , कुर्क पत्रक एवं सील, मोहर, स्टेशनरी आदि भी साथ में रख रहे है , कुर्की के दौरान स्पैरो सॉफ्टेक प्राइवेट लिमिटेड ब्रांच भिलाई के कर्मचारी भी अनिवार्य रूप से इस कार्यवाही में मौजूद हो रहे है। गौरतलब है कि निगम ने कुर्की पर कार्रवाई के लिए सूची जारी की थी, इस सूची के मुताबिक बकाया राशि की वसूली कुर्की के माध्यम से की जा रही है, जिसके लिए शेड्यूल के मुताबिक कुर्की दल के अधिकारी कुर्की की कार्यवाही कर रहे है।